उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या1/1059905/2025 -सी0एक्स0-3
लखनऊ: दिनाँक 19 अगस्त, 2025

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोगगेल पाईपलाईन संस्थान के सेक्शनलाईज्ड वाल्व स्टेशन-1ए द्वारा अन्य क्षेत्रों को हाई प्रेशर नेचुरल गैसकी आपूर्ति की जाती है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करते हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध संस्थान का नाम और विनिर्देश	
गेल पाईपलाईन संस्थान के सेक्शनलाईज्ड वाल्व स्टेशन-1ए ग्राम- सैफपुर पल्ला, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में-	गाटा सं0-566,568,567 में रामकिशोर विशेष आदि के खेत है।
पश्चिम में-	गाटा सं0-345 में टोरेन्ट गैस आदि के खेत है।
उत्तर में-	गाटा सं0-569 व 346 में भगवान दास व जगदीश आदि के खेत है।
दक्षिण में-	10 फीट की काली डामर वाली पक्की सड़क है।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JAGDISH TRIPATHI
Date: 18-08-2025
14:33:06

(जगदीश)
सचिव